महत्वपूर्ण

संख्या- 77 / 2026/1459/26-3-2026- 1572678

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 जून 2026

विषयः- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्याओं को दी जाने वाली वैवाहिक उपहार सामग्री के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-468/स0क0/विकास/मु0सा0वि0यो0/2026-27, दिनांक 14.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-3-2025-1572678, दिनांक 23.05.2025 के बिन्दु संख्या-3 के उपबिन्दु- (ii) के क्रमांक- 7 एवं 8 पर उल्लिखित वैवाहिक उपहार सामग्री (चाँदी की पायल व बिछिया 65 टंच, 40 ग्राम) के स्थान पर उक्त सामग्री पर व्यय होने वाली कुल धनराशि रू0 4000/- को कन्या को दी जाने वाली धनराशि में समायोजित करते हुए कन्या के खाते में अन्तरित की जाने वाली धनराशि रू0 64,000/- तथा वैवाहिक उपहार सामग्री पर व्यय धनराशि को रू0 21,000 / - निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-3-2025-1572678, दिनांक 23.05.2025 के बिन्दु संख्या-3 के उपबिन्दु- (ii) के क्रमांक- 7 पर चाँदी की पायल (एक जोड़ी) 65 टंच-30 ग्राम व क्रमांक- 8 पर चाँदी की बिछिया (एक जोड़ी) 65 टंच - 10 ग्राम अर्थात वैवाहिक उपहार सामग्री (चाँदी की पायल व बिछिया 65 टंच, 40 ग्राम) के स्थान पर उक्त सामग्री पर व्यय की जाने वाली कुल धनराशि रू0 4000/- को कन्या को दी जाने वाली धनराशि में समायोजित करते हुए कन्या के खाते में अन्तरित की जाने वाली धनराशि रू0 64,000/- तथा वैवाहिक उपहार सामग्री पर व्यय धनराशि को रू0 21,000 /-निर्धारित करते हुये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु निर्गत धनराशि रू0 1.00 लाख का निम्नानुसार व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	विवरण	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	कन्या के खाते में अन्तरित धनराशि	60,000/-	64,000/-
2	वैवाहिक उपहार सामग्री पर व्यय धनराशि	25,000/-	21,000/-
3	कार्यक्रम आयोजन पर व्यय धनराशि	15,000/-	15,000/-

abhi

3- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-3-2025-1572678, दिनांक 23.05.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Digitally signed by PRAVEEN MISHRA Date: 09-06-2026 17:30:02

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

पृ०सं०-77 /2026/1459(1)/ 26-3-2026-तद्दिनांक-

प्रतिलिपिः -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त/श्रम/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,उ०प्र०शासन ।
3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
4- निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।
5- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज ।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० ।
8- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र० ।
9- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० ।
10-समस्त मुख्य कोषाधिकारी उ०प्र० ।
11- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० ।
12-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) उ०प्र० ।
13-निदेशक, एन०आई०सी०, उ०प्र०लखनऊ।
14-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 09-06-2026
17:12:14

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

abhi